क्रमांक **46-ज(II)-83/4263**.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मीहुं सिंह, पुत्र श्री हरदियाल सिं , गांव माजरा (दूबलधन), तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को खरीफ़, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **44-ज(II)-83/4267**.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुन्दर लाल, पुत्र श्री कान्हा राम, गांव चमनपुरा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ़, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **27-ज(II)-83/4271**.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती विद्या देवी, विधवा श्री भूप सिंह, गांव गोकलगढ़, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1974 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2-ज(II)-83/4420**.--श्री दीवान सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह, गांव तिगड़ाना, तहसील व जिला भिवानी, की दिनांक 23 मई, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दीवान सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 152-ज-I-76/5668, दिनांक 24 फरवरी, 1976, तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती बसन्ती देवी के नाम खरीफ, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **14-ज(II)-83/4424**.--श्री कलीराम, पुत्र श्री अमृत, गांव आसन, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 19 मार्च, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कलीराम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार के अधिसूचना क्रमांक 2010-र(III)-69/19622, दिनांक 7 अगस्त, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5040-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती राजो देवी, के नाम खरीफ, 1979 के लिए 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **45-ज(II)-83/4428**.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री तारा चन्द, पुत्र श्री किशना राम, गांव चमनपुरा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **16 ज(II)-83/4432**.--श्री भरत सिंह, पुत्र श्री हरनारायण, गांव मातनहेल, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 23 अक्तूबर, 1981 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भरत सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 315-ज(II)-79/17137, दिनांक 11 अप्रैल, 1979 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज(II)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती श्रवण कौर के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।